सं0-81/2016/सी0एम0-187/62-2-2016-2/4(46)/2012

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त,2016**

विषय:-IGRS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त संदर्भो अधिशासी अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं द्वारा निस्तारित न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा एकीकृत जनसुनवाई पोर्टल माह, फरवरी,2016 से प्रारम्भ किया गया है, जिसका उददेश्य जनता द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाना है। प्राय: यह देखने में आया है कि लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी एवं सहायक अभियंताओं द्वारा आपके द्वारा अंतरित किये संदर्भो को IGRS पोर्टल पर मार्क ही नही किया गया अर्थात उनके द्वारा उन संदर्भो को देखा ही नही गया है। यह भी देखने में आया है कि सहायक अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं द्वारा कार्यालय में प्राप्त संदर्भो को लम्बित तो कर लिया गया है, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही की गयी है और न ही आख्या IGRS पोर्टल पर लोड की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि लघु सिंचाई विभाग के समस्त अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता IGRS पोर्टल पर प्रतिदिन प्राप्त संदर्भो को देखे और उनका निस्तारण निर्धारित समयावधि में त्वरित गति से कराकर आख्या लोड कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता व्यक्गित रूप से जिम्मेदार होगें और उनके विरूद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-81/2016/सी0एम0-187(1)/62-2-2016,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, उ0प्र0।
2- समस्त अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, उ0 प्र0।
3- समस्त सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, उ0प्र0।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।